Dr. Vandana Suman
Associate Professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
M.A - II Sem Philosophy
CC-09 - Indian Linguistic trends

"Lakshana" 1

(लक्षणा)

जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होता है और सम्बन्धी अर्थ, प्रयोजनवत होता है उसे 'लक्षणा' कहते हैं। 'लक्षणा' शब्द लक्षण से बना है। लक्षण का पर्याय चारित्रिक विशेषता है। किसी शब्द की चारित्रिक विशेषता उसकी अभिधा शक्ति में निहित रहती है। उस शक्ति को बाधित करके भी यही शक्ति है निःसृत लाक्षणिक (चारित्रिक) अर्थ लक्षणा है। विश्वनाथ ने कहा है कि किसी शब्द के मुख्य अर्थ को बाधित कर उसका अन्य अर्थ बतलाना लक्षणा है। मम्मट भट्ट की मान्यता है कि "लक्षणा वह वृत्ति है जो मुख्य अर्थ का बाध होने पर मुख्य अर्थ का सम्बन्ध होने पर रूढ़ि अथवा किसी प्रयोजनवश अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है। यह स्वाभाविक न होकर आरोपित वृत्ति है।" स्पष्ट है कि लक्षणा किसी शब्द का स्वाभाविक अर्थ नहीं होकर आरोपित अर्थ है। इसलिए इसे मुख्य अर्थ नहीं कहा जाता। दूसरी बात, यह मुख्य अर्थ नहीं होकर भी मुख्य अर्थ का त्याग नहीं करता। वस्तुतः लाक्षणिक अर्थ होने के कारण यह मुख्य अर्थ से युक्त होता है। तीसरी बात यह है कि लक्षणा या तो रूढ़िगत होती है या प्रयोजनयुक्त। मम्मट द्वारा बतलायी इन तीन विशेषताओं का उल्लेख

विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण में "लक्षणा पुस्तक" में की है।

"गंगा में घोष है", का अर्थ अभिधामूलक नहीं है, वरन् प्रयोजनवती लक्षणामूलक है। 'गंगा' को यहाँ अर्थ शीतलता पवित्रता को सामीप्य से लिया जाता है और का लक्षित अर्थ है। "गंगा में" यह गंगा लक्षणा "गंगा के किनारे" है। का "घोष है" का अर्थ हुआ। अतः गंगा है अर्थात गंगा के किनारे ऐसा गाँव है जो पवित्र और शीतल है। इसी प्रकार शान्त, 'कुश' शब्द से बना 'कुशल', का अर्थ कुशा नामक घास लानेवाला है। किन्तु प्रयोजन में 'कुशल' का अर्थ निपुण रूप से लिया जाता है। यह लक्षणा रूढ़ि है, का लक्षणा, जबकि 'गंगा में घोष' प्रयोजन-युक्त है। शीतल, पवित्र और शान्त होना प्रयोजन ही है।

लक्षणा अर्थ की आवश्यकता उस समय होती है जब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में संगति नहीं पायी जाती है और अन्वय की उपपत्ति नहीं होती। जैसे- "मंच चिल्लाते हैं।" इस वाक्य में प्रयुक्त पद 'मंच' अभिधा अर्थ में तथा वाक्य के संगति (या अन्वय) नहीं पायी जाती है। अतएव यहाँ 'मंच' का लक्षणार्थ

लेना आवश्यक है। 'गंगा' का अर्थ
तट पर आभीर पल्ली से है। इस प्रकार
ही अन्वित हो सकता है, क्योंकि
अतएव लक्षणा का बीज अन्वयानुपपत्ति
है। परन्तु सभी वाक्यों का लक्षणा
अर्थ अन्वयानुपपत्ति द्वारा उपगत
नहीं होता है, क्योंकि कतिपय ऐसे वाक्य
हैं जिनका अर्थ, उनमें प्रयुक्त पदों की
तात्पर्यानुपपत्ति से अभिव्यक्त होता है।
जैसे — 'कौवों से दही की रक्षा करो।"
इस वाक्य में 'कौवा' का तात्पर्य उन सभी
पशु-पक्षियों से है जो दही खा सकता है,
अतएव जहाँ तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है,
वहाँ भी लक्षणा अर्थ की आवश्यकता
होती है। "कौवा" शब्द से स्पष्ट है
कि दही की रक्षा इस पक्षी से करनी है,
परन्तु यद्यपि कौवा का अभिधा अर्थ
स्पष्ट होते हुए भी वाक्य में प्रयुक्त
पदों 'कौवा' और 'रक्षा' का अर्थ इसी तरह
स्पष्ट नहीं होता है। दही बिल्ली, कुत्ते,
तोता आदि पशु-पक्षी खा सकते हैं।
अतएव 'कौवा' का तात्पर्य अर्थ, जो
यहाँ अनुपपन्न है को उपस्थित
कर ही इस वाक्य का सही अर्थ
बतलाया जा सकता है। अतएव लक्षणा
का बीज तात्पर्यानुपपत्ति भी है। यही
कारण है कि प्राचीन नैयायिकों ने
अन्वयानुपपत्ति तथा तात्पर्यानुपपत्ति
दोनों को लक्षणा का मूल माना है,
जबकि नव्य नैयायिकों ने केवल

01 WED APR

वाच्यार्थानुपपत्ति की ही है। अनुपपत्तियों के आधार पर ही लक्षणा का विभिन्न वर्गीकरण किया जाता है। मुख्यतः पाँच प्रकार के लक्षणा का उल्लेख मिलता है — रूढ़ एवं प्रयोजनवती लक्षणा, जहत लक्षणा - अजहत लक्षणा — जहदजहल्लक्षणा, गौणी एवं शुद्ध लक्षणा, उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा तथा सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा।

(1) रूढ़ एवं प्रयोजनवती लक्षणा :—

रूढ़ लक्षणा वह है जिसका प्रयोग निरन्तर प्रचलन में है। जैसे कभी की बाँह, मुख का पात्र, सुख की ओर हरेक। कुशल, वीर जैसे पदों का अर्थ भी रूढ़ लक्षणा के अन्तर्गत आता है। ऊपर की पंक्तियों में इन पदों को लक्षणा से बतलाया गया है। 'कुशल' शब्द 'कुश' से बना है। कुश एक प्रकार का घास है। अतः घास काटने वाले को कुशल कहा जाता है। परन्तु प्रचलन में कुशल का अर्थ निपुण है। 'कुशल' का यह अर्थ रूढ़ लक्षणा है। इसी प्रकार वीर का रूढ़ लक्षणा अर्थ वीर है।

प्रयोजनवती लक्षणा वह है जिसका अर्थ प्रचलित या प्रयोजन से युक्त होता है। प्रयोजन का बोध तात्पर्य से लिया जाता है। ऊपर "गंगा में गाँव है" को उदाहरण लिया गया है। 'गंगा में' का तात्पर्य

गंगा के किनारे है, तात्पर्य ('गंगा में गाँव है') यह अर्थ तात्पर्य अनुपपत्ति द्वारा बाधित है, फिर भी यह अर्थ प्रचलन में पाया जाता है। इसलिए इसे प्रचलित प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। किन्तु यदि 'गंगा में गाँव है', का अर्थ इस गाँव से लिया जाय जो गङ्गा के समान शान्त, पवित्र और शीतल है तो इस अर्थ में स्पष्टतः प्रयोजन निहित है। अतएव इसे प्रयोजन मूलक प्रयोजनवती लक्षणा कही जाती है। रूढ़ि लक्षणा का बीज अन्वयानुपपत्ति है, तो प्रयोजनवती लक्षणा का बीज तात्पर्यानुपपत्ति है।

(2) जहत् लक्षणा – अजहत् लक्षणा (जहदजहल्लक्षणा):— जहत् लक्षणा वह है जो किसी शब्द के मुख्य अर्थ को पूर्णतः बाधित करता है और एक नया अर्थ प्रदान करता है। "गैलरी शोर करता है" "घी जीवन है" "मंच आन्दोलित है" इत्यादि। गैलरी, घी, मंच — इन शब्दों के अभिधार्थ से इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता जब तक इनका लक्षण अर्थ को नहीं बतलाया जायेगा, इन वाक्यों को अर्थहीन माना जायेगा। इन वाक्यों का अर्थ क्रमशः "गैलरी में बैठा मनुष्य शोर करता है", "घी खाने से जीवन स्वस्थ रहता है", "मंच पर आसीन व्यक्ति आन्दोलित है" है। स्पष्ट है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त पद गैलरी,

यहाँ गंगा का अभिधार्थ (जलधारा) और पूरी तरह बाधित है और इसके लिए प्रयोजन (अर्थ शीतलता, पवित्रता आदि की व्यंजना) और गंगा का ... पद का अर्थ जहत् लक्षणा कहलाता है।

अजहत् लक्षणा वह है जिसमें किसी शब्द का मुख्यार्थ छोड़ा नहीं जाता है परन्तु मुख्यार्थ के साथ कोई अर्थ अभिप्रेत होता है। जैसे — "कौवों से दही की रक्षा करो।" जब एक गुरु जी स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को यह आदेश दिया। शिष्य एक डंडे से कौवा भगाता रहा परन्तु बिल्ली को नहीं भगाया। बिल्ली उसके पीछे से आकर दही खा गयी। स्नान करने के पश्चात जब गुरु जी आए और देखा कि दही नहीं है, तो क्रोधित होकर गुरु ने पूछा कि 'दही की रक्षा क्यों नहीं की?' शिष्य का उत्तर था कि आपने कौवों से रक्षा का आदेश दिया था, बिल्ली से नहीं। शिष्य ने कौवा का मुख्य अर्थ समझा, लेकिन उसके लक्ष्यार्थ को नहीं समझ पाया। वस्तुतः यहाँ 'कौवा' शब्द का प्रयोग इसके लक्ष्यार्थ में किया गया है। यहाँ कौवा का अर्थ कौवा सहित बिल्ली, कुत्ता, तोता आदि उन पशु पक्षियों से है, जो दही खाते हैं। कौवों से दही की रक्षा करो—

[illegible] वाक्य में प्रयुक्त 'पत्नी' [illegible] अपने मुख्य अर्थ के साथ-साथ अन्य अर्थ भी (जैसे नेता की पत्नी) को भी व्यक्त है। अतः इसी प्रसंग में अजहत् लक्षणा पायी जाती है।

जहदजहल्लक्षणा — यह है जिसमें किसी शब्द का मुख्यार्थ आंशिक रूप से बाधित होता है और मुख्यार्थ आंशिक रूप से ही प्रयुक्त होता है। तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य का अर्थ जहत् तथा अजहत् दोनों लक्षणाओं द्वारा स्पष्ट होता है, उसे जहदजहल्लक्षणा कहते हैं। वेदान्तिक के अनुसार ब्रह्म ने अजहति पदों में 'तत्त्वमसि' के रूप में लक्षणा को परिभाषित किया जाता है।" अर्थात् जिस लक्षणा में पद या शब्द अपने वाच्यार्थ (मुख्य अर्थ) के कुछ अंश का त्याग कर तथा कुछ अंश का ग्रहण करते हैं, वह जहदजहल्लक्षणा कहलाती है। जैसे — "यह वह देवदत्त है।" इस वाक्य में "यह" का अर्थ "वह" से लिया गया है। "यह" का मुख्य अर्थ "वर्तमान" और सामीप्य है। "वह" का मुख्य अर्थ 'अतीत' और 'दूरस्थ' है। यह वाक्य सरल नहीं है क्योंकि इसमें दो वाक्य निहित हैं। पहला वाक्य वर्तमानकालिक है। दूसरा वाक्य अतीतकालीन है। जिस देवदत्त को पहले देखा गया, वही देवदत्त यह व्यक्ति है — इस जटिल वाक्य का अर्थ

नहीं है। यहाँ "यह" और इदम्
मुख्य अर्थ भी लिया गया है, और इनका
मुख्य अर्थ का त्याग कर, "यह" का अर्थ
"वह" भी लिया गया है। इस प्रकार
तौर पर "यह" और "वह"
देश, प्रसार का विरोधी है। अतः
एक देवदत्त दर्शाने में। उपनिषदों के
महावाक्य "तत्त्वमसि" "अहम् ब्रह्मास्मि"
"अयमात्मा ब्रह्म" "प्रज्ञानम् ब्रह्म" आदि
में भी जहद्‌जहल्लक्षणा द्वारा ही एकता
होता है। तत्त्वमसि (वह तुम हो)
का तात्पर्य है कि ब्रह्म (आत्मा)
"वह" शब्द सर्वनाम और अन्य पुरुष
के लिए व्यवहार होता है।
उदाहरण है। वह विद्वान है। "वह" राधा
अन्य पुरुष है और वह सर्वनाम है।
"वह" शब्द का प्रयोग "राधा" के
अर्थ में किया गया है। "तत्त्वमसि" वाक्य
में "वह" शब्द का प्रयोग "ब्रह्म" के
लिए किया गया है। "ब्रह्म" शब्द भी
अन्य पुरुष है। यहाँ सर्वनाम "वह"
का अर्थ अन्य पुरुष 'ब्रह्म' है।
"तुम" शब्द मध्यम पुरुष के लिए
प्रयुक्त होता है। परन्तु 'तत्त्वमसि' वाक्य
में 'तुम' शब्द 'आत्मा' के अर्थ में
लिया गया है। 'आत्मा' पद अन्य
पुरुष है। स्पष्ट है कि वह
(ब्रह्म) का मुख्य अर्थ स्वीकार
किया गया है लेकिन तुम (आत्मा)
का मुख्य अर्थ बाधित हुआ है।

TUE 07 APR

[illegible] के स्थान पर 'तेरा' छोड़ दिया गया है और 'वह' लेना (लिया), पदों का शाब्दिक संबंध छिन्न करके अखण्ड चैतन्य ही आत्मा का पर्याय मान लिया गया है। इसी प्रकार अन्य महावाक्यों का भी अर्थ जहद अजहद लक्षणा द्वारा स्पष्ट हो पाता है। जहद अजहद लक्षणा को "भाग त्याग लक्षणा" भी कहा जाता है। भाग का अर्थ अंश से है। इस लक्षणा में मुख्य अर्थ आंशिक रूप से त्याग तथा आंशिक रूप से अपनाया जाता है इसलिए इसे "भागत्याग" कहा जाता है।

(3) गौणी एवं शुद्ध लक्षणा —

गौणी लक्षणा वह है जो मुख्य अर्थ की समानता पर आधारित होता है। जैसे — "वह मनुष्य बैल है", इस वाक्य में उस मनुष्य को बैल कहा गया है जो सुस्त या आलसी होता है। इस वाक्य में निहित अर्थ है — "वह मनुष्य बैल के समान सुस्त या आलसी है"। यहाँ अर्थ लिया गया है जिसे बैल से तुलना करके अभिव्यक्त किया जाता है। बैल से 'वह मनुष्य' की तुलना समानता के आधार पर की जाती है। बैल पशु है और 'वह मनुष्य' मनुष्य है। इन दोनों में भिन्नता है, किन्तु दोनों के गुण में जो समानता है, उसको ही आधार बनाकर अर्थ निकाला जाता है, क्योंकि उन

भेद के आधार पर। भेद हैं और निर्धारण किया जाता है इन रूप रंग की अपनी लक्षण कहते हैं — गुणात्मकता [illegible] [illegible]।

अलंकार शास्त्रियों के अनुसार दो भिन्न पदों में समानता द्वारा दिखलाया जाता है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अन्तर होता है यद्यपि उपमा अलंकार का आधार भी समानता है। दोनों अलंकारों के अन्तर को [illegible] वाक्यों द्वारा दिखलाया जा सकता है —

(1) वह मनुष्य बैल के समान है — उपमा अलंकार।

(2) वह मनुष्य बैल है — रूपक अलंकार।

वाक्य (1) में 'वह मनुष्य' और बैल में समानता दिखलाया गया है, इस समानता द्वारा दोनों पदों में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया है। पहला वाक्य से बोध होता है कि वह मनुष्य, और 'बैल' में समानता के साथ-साथ असमानता भी है। वाक्य (2) में इन दोनों पदों में जो समानता दिखलायी गयी है उसमें असमानता का तनिक भी बोध नहीं होता है, बल्कि अभिन्नता या तादात्म्य का बोध होता है। स्पष्ट है कि उपमा अलंकार वह है जिसमें समानता और विभेद दोनों का बोध हो। रूपक अलंकार वह है जिसमें केवल समानता का बोध

होता है। गौणी लक्षणा रूपक अलंकार पर आधारित है।

शुद्ध लक्षणा वह है जो समानता के आधार पर नहीं, बल्कि के कारण ता आदि संबंधों द्वारा किसी शब्द के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। जैसे "घी जीवन है।" इस वाक्य में घी को जीवन से तादात्म्य बताया गया है। इनमें अभिन्नता दिखलाई गई है। घी और जीवन में कोई समानता नहीं है। घी स्वेत और पीत पदार्थ है, जीवन अमूर्त प्रत्यय है। घी खाद्य पदार्थ है। जीवन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का संचालक और संरक्षक है। इसी अर्थ में घी को जीवन कहा गया। यहाँ घी शब्द के अर्थ में अन्य शब्द 'जीवन' का अर्थ आरोपित अथवा उपचारित नहीं है। इसलिए इस अर्थ को शुद्ध लक्षणा कहते हैं। गौणी लक्षणा में एक शब्द (वाहीक) पर दूसरे शब्द (बैल) के अर्थ का आरोपित या उपचारित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि गौणी लक्षणा का सार उपचार में निहित है, जबकि शुद्ध लक्षणा में उपचार का अभाव रहता है।

(5) उपादान लक्षणा

जो लक्षणा अपनी सिद्धि के लिए (अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए) दूसरों की अपेक्षा करता है, उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। मम्मट भट्ट की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई पद का अर्थ जब स्पष्ट

होता है जब अपने पद के साथ कोई दूसरा पद जुड़ जाता। जैसे — "कुदाल आ रहे हैं" इस वाक्य में 'कुदाल' का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया गया है, क्योंकि इस अर्थ का लक्ष्य बाधित है। इसका लक्षणा अर्थ तभी स्पष्ट हो पाता है, जब (कुदाल) शब्द में "वाला" जोड़ा जाता, अर्थात यहाँ कुदाल का अर्थ कुदालवाला है। कुदाल एक उपादान (साधन) है, जिससे खेती और बगीचों में मिट्टी खोदी जाती है, घास छिला जाता है। इसलिए कुदाल का अर्थ कुदालवाला लक्षणार्थ है और यह उपादान लक्षणा है।

लक्षण लक्षणा वह है जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उस शब्द के मुख्य अर्थ का पूर्णतः त्याग करता है तथा किसी अन्य अर्थ को लेता है। यह अन्य अर्थ लक्षण लक्षणा कहलाता है। इसे लक्षित लक्षणा भी कहते हैं। कहा गया है — "लक्षिते लक्षितत्वे वा लक्षणा लक्षित लक्षणा" भी कहते हैं। कहा गया है — "लक्षिते लक्षितत्वे वा लक्षणा लक्षित लक्षणा" अर्थात लक्षित (जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो) में लक्षणा होने के कारण वह लक्षित लक्षणा कहलाता है। जैसे — "बंगाली बहादुर हैं।" इस वाक्य में बंगाल का अभिधार्थ (मुख्य अर्थ) एक राज्य से है जिसे बंगाल कहते हैं। राज्य

SAT 11 APR

अमूर्त होता है। अमूर्त शब्दों के कतिपय तत्व होते हैं। जैसे - मूल्य, शैली, ईमानदारी आदि। लेकिन अमूर्त शब्द की विशेषता (बहादुर होना) नहीं होती। अतः बंगाली का अर्थ उस शब्द के विशेषता से है, जिसे बंगाली कहा जाता है या यों कहा जाय कि जिन व्यक्तियों की मातृभूमि या जन्मभूमि बंगाल है, वह बंगाली कहलाता है। स्पष्ट है, इस वाक्य का अर्थ "बंगाली बहादुर है"। इसी प्रकार "भ्रमर भ्रमता है" कहा जाए तो इसका अर्थ उस व्यक्ति से है जो पर्यटक के रूप में घूमता रहता है। भ्रमर का मुख्य (अभिधा) अर्थ भौंरा है। लेकिन इसका लक्षणा अर्थ पर्यटक है।

प्राचीन नैयायिकों ने उपादान और लक्षण लक्षणा को स्वीकारा है। किन्तु नव्य नैयायिकों ने इन दोनों को क्रमशः अजहत् लक्षणा और जहत् लक्षणा कहा है। इन दोनों लक्षणा में वही अंतर है जो अजहत् और जहत् लक्षणा में है। उपादान लक्षणा में शब्द का मुख्य अर्थ बाधित नहीं होता जबकि लक्षण लक्षणा में मुख्य अर्थ का बाध होता है और एक नया अर्थ प्राप्त होता है।

SUN 12

(5) सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा — जब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ अन्य शब्द के भेद के आरोप या आक्षेप के द्वारा अभिव्यक्त होता है और

13

यह अलग शब्द मूल शब्द के ... आरोप या आरोपित ... किया जाता है। यदि वह अलग शब्द ... तो ... नहीं ... तात्पर्य ... लक्षणा में ... मुख्य ... स्पष्ट करने के लिए ... उस शब्द का आरोप किया जाता है ... आरोप या आरोपित ... सारोपा लक्षणा है। जैसे "जीवन ईश्वर है।" जीवन और ईश्वर ... कहा जाता है। ईश्वर ... [illegible] ... है। यही कारण है कि जीवन को ... सारोपा लक्षणा में तादात्म्य भाव से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है।

साध्यवसाना लक्षणा वह है जिसमें आरोपित या आरोपित शब्द के आरोप्य या आरोपस्य (मूल) शब्द के अर्थ (अभिधा) को पूर्णतः निगल जाता है और अन्य अर्थ अभिव्यक्त करता है। जैसे — "काँटे को नष्ट करो"। यहाँ काँटे का मूल अर्थ जंगल-झाड़ी या रास्ते पर पाया जाने वाला प्राकृतिक काँटा नहीं है, गुलाब के पौधे में लगा काँटा है/ बल्कि काँटा का लक्ष्यार्थ "दुश्मन" है। यहाँ 'काँटा' का मूल (अभिधा) अर्थ नहीं रहता, बल्कि लक्षणा अर्थ ('दुश्मन') रह जाता है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ "दुश्मनों को नष्ट करो" है। काँटा आरोप्य है और दुश्मन आरोपित